Amire Ahle Sunnat Se Walidain Ke
Baare Mein Suwal Jawab (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 296
Weekly Booklet : 296

अमीरे अहले सुन्नत से
वालिदैन के बारे में सुवाल जवाब

सफ़हात 20

शादी के बा'द वालिदैन से अ़लाहदा होना कैसा ? 05

वालिदैन में अ़लाहदगी हो जाए तो औलाद क्या करे ? 10

वालिदैन को नेकी की दा'वत कैसे दें ? 09

फ़ौत शुदा वालिदैन के नाम की क़ुरबानी 18

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ के मल्फ़ूज़ात का तहरीरी गुलदस्ता

पेशकश :

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (مُسْتَطْرَف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : **अमीरे अहले सुन्नत से वालिदैन के बारे में सुवाल जवाब**

सिने त़बाअ़त : रमज़ानुल मुबारक **1444** हि., एप्रिल **2023** ई.

ता'दाद : 000

नाशिर : **मक्तबतुल मदीना**

मदनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**अमीरे अहले सुन्नत से वालिदैन के बारे में सुवाल जवाब**" मजलिसे **अल मदीनतुल इल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअए मक्तूब, Email या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद -1, गुजरात।

MO. 9898732611 • Email : hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)। (تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۵۱ ص ۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की तबाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ फ़रमाइये।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه से
किये गए सुवालात और उन के जवाबात पर मुश्तमिल है

अमीरे अहले सुन्नत से वालिदैन के बारे में सुवाल जवाब

दुआए जा नशीने अ़त्तार : **या अल्लाह** पाक ! जो कोई 18 सफ़्ह़ात का रिसाला : **"अमीरे अहले सुन्नत से वालिदैन के बारे में सुवाल जवाब"** पढ़ या सुन ले, उसे वालिदैन की ख़िदमत और इत़ाअ़त करने वाला बना, उन की ना फ़रमानी से मह़फ़ूज़ फ़रमा और उस की बे ह़िसाब मग़्फ़िरत फ़रमा ।
اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

ह़ज़रते अनस बिन मालिक رَضِیَ اللّٰہُ عَنْه से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने मुझ पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** पाक उस पर दस रह़मतें नाज़िल फ़रमाएगा, उस के दस गुनाह मिटा देगा । (ابن حبان، 2/130 حدیث:901)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

सुवाल : कुछ लोग अपने मां बाप की ना फ़रमानी करते हैं बल्कि उन के साथ बहुत बुरा सुलूक करते हैं, आप उन के लिये ऐसी नसीह़तें इर्शाद फ़रमा दें कि वोह अपने मां बाप के साथ इस रवय्ये को ख़त्म कर दें ।

जवाब : मां बाप का दिल दुखाने और उन की ना फ़रमानी करने वालों को

दुन्या में भी सज़ा मिलती है और वोह आख़िरत में भी सज़ा के ह़क़दार होते हैं। याद रखिये ! मां बाप की फ़रमां बरदारी लाज़िमी फ़र्ज़ है और इन की ना फ़रमानी गुनाह है। मां बाप की इत़ाअ़त के ह़वाले से काफ़ी आयात और रिवायात मौजूद हैं। मां बाप की अहम्मिय्यत का अन्दाज़ा इस ह़दीसे पाक से कीजिये कि प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَات (जन्नत माओं के क़दमों के नीचे है) (مسند شہاب، 1/102، حدیث:119) या'नी इन के साथ भलाई करना जन्नत में दाख़िले का सबब है, जो भलाई करेगा वोह जन्नत में जाएगा। बहारे शरीअ़त में है : जिस ने अपनी वालिदा का पाउं चूमा तो येह ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट या'नी दरवाज़े को बोसा दिया। (बहारे शरीअ़त, 3/445, ह़िस्सा : 16) मां बाप के सामने आवाज़ भी बुलन्द नहीं करनी चाहिये, नज़रें नीची रखनी चाहिएं, उन को दूर से आता देख कर ता'ज़ीमन खड़े हो जाना चाहिये, उन से आंखें मिला कर हरगिज़ बात नहीं करनी चाहिये, जब येह बुलाएं तो लब्बैक कहते हुए फ़ौरन ह़ाज़िर हो जाना चाहिये, उन के साथ तमीज़ से आप जनाब कर के बात करनी चाहिये और उन की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलन्द नहीं करनी चाहिये। ह़ज़रते औ़न رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه की वालिदा ने आप को बुलाया तो जवाब देते वक़्त आप की आवाज़ कुछ बुलन्द हो गई तो आप ने इस की वज्ह से दो ग़ुलाम आज़ाद किये।

(حلیۃ الاولیاء، 3/45، رقم:3103, **अल्लाह** वालों की बातें (मुतर्जम), 3/59)

देखा आप ने ! ह़ज़रते औ़न رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ने सिर्फ़ वालिदा की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलन्द होने पर दो ग़ुलाम आज़ाद कर दिये, जो लोग मां बाप की अहम्मिय्यत नहीं जानते उन्हें इस से दर्स ह़ासिल करना चाहिये।

याद रखिये ! मां बाप की फ़रमां बरदारी करने के बड़े फ़ज़ाइल और ना फ़रमानी में अ़ज़ाब की वईदात भी हैं । मक्तबतुल मदीना के रिसाले ''समुन्दरी गुम्बद'' में लिखा है : मन्क़ूल है कि एक शख़्स को उस की मां ने आवाज़ दी मगर उस ने जवाब नहीं दिया, इस पर उस की मां ने उसे बद दुआ़ दी तो वोह गूंगा हो गया । (بر الوالدین للطرطوشی، ص79) ग़ौर कीजिये कि उस के लिये कितनी बड़ी आफ़त आई, वाक़ेई येह तो गूंगा ही समझ सकता है कि उस के लिये कितनी मुश्किल होती है लिहाज़ा हमें चाहिये कि मां बाप की इत़ाअ़तो फ़रमां बरदारी करें वरना दुन्या में भी अ़ज़ाब है और आख़िरत में भी अ़ज़ाब है। ह़ज़रते इमाम अह़मद बिन ह़जर मक्की शाफ़ेई رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه नक़्ल करते हैं कि सरवरे काएनात, शाहे मौजूदात صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : मे'राज की रात मैं ने कुछ लोग देखे जो आग की शाख़ों से लटके हुए थे, मैं ने पूछा : येह कौन लोग हैं ? बताया गया : येह वोह लोग हैं जो दुन्या में अपने बापों और माओं को बुरा भला कहते थे । (الزواجر عن اقتراف الکبائر، 2/139, जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल (मुतर्जम), 2/265) बहर ह़ाल जिन्हों ने मां बाप को सताया है वोह तौबा करें, अपने मां बाप को राज़ी करें और मुआ़फ़ी भी मांगें । अगर मां बाप दूर हैं तो फ़ोन या किसी भी त़रह़ राबित़ा कर लें, उन के घर पहुंच कर पाउं पकड़ कर राज़ी करें, येह राज़ी हैं तो आप की जन्नत है लिहाज़ा इन को राज़ी करें और इन के जो भी जाइज़ मुत़ालबात हों वोह पूरे करें । (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/443)

सुवाल : क्या जन्नत में वालिदैन भी हमारे साथ होंगे ?

जवाब : अगर वालिदैन ईमान पर दुन्या से रुख़्सत हुए और औलाद भी ईमान पर रुख़्सत हुई तो फिर जन्नत में ही जाना है और जन्नत में सब इकठ्ठे

रहेंगे। इसी त़रह़ मियां बीवी अगर दोनों जन्नत में गए तो दोनों इकठ्ठे रहेंगे।

(معجم صغیر، 1/229، حدیث:541 ماخوذاً) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/413)

सुवाल : अगर कोई शख़्स अपने वालिदैन से मह़ब्बत करता हो लेकिन उन की ख़िदमत न करता हो तो क्या वालिदैन से मह़ब्बत करने पर सवाब और ख़िदमत न करने पर गुनाह मिलेगा ?

जवाब : अगर वालिदैन को ख़िदमत की ज़रूरत है और येह उन की ख़िदमत करने के बजाए उन का दिल दुखाता और उन्हें परेशान करता है तो येह कैसी मह़ब्बत है ? आ़म लोगों के मुक़ाबले में वालिदैन से मह़ब्बत तो फ़ित़ूरतन होती है। अगर वाजिब को तर्क करेगा जो उस पर अपने वालिदैन की त़रफ़ से लाज़िम है तो गुनाहगार होगा।

(इस मौक़अ़ पर मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया :) वालिदैन से मह़ब्बत करने पर उसे फ़ाएदा तो मिलेगा, अगर वालिदैन की ख़िदमत उस पर फ़र्ज़ या वाजिब है कि घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है, इसी पर उन का नानो नफ़क़ा लाज़िम है तो अब ख़िदमत न करने पर गुनाहगार होगा।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/54)

सुवाल : अगर वालिदैन अपनी औलाद से कहें कि अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है तो औलाद को क्या करना चाहिये ?

जवाब : इस में औलाद के लिये बड़ी आज़्माइश है। औलाद को चाहिये कि वालिदैन से लड़ाई न करे कि इस की इजाज़त नहीं है, वालिदैन से मुआ़फ़ी मांगती रहे, आ़जिज़ी करे और रो रो कर वालिदैन के पाउं पकड़ कर मुआ़फ़ियां मांगे। अगर सच्ची नदामत हुई तो **अल्लाह** पाक की बारगाह में सुर्ख़रूई ह़ासिल हो जाएगी और اِنْ شَآءَاللّٰه मस्अला ह़ल हो जाएगा। मां

बाप को भी ऐसा नहीं करना चाहिये बल्कि अपना दिल नर्म रखें, अगर्चे औलाद ने ना फ़रमानियां की हों उन्हें मुआ़फ़ कर दिया करें। मुम्किन है आप ने भी अपनी जवानी में अपने मां बाप के साथ ऐसे मसाइल किये हों। बहर ह़ाल सारे मां बाप ऐसे नहीं होते, कोई कोई ऐसा होता होगा लिहाज़ा "लड़ाई लड़ाई मुआ़फ़ करो अपना दिल साफ़ करो" इसी में आख़िरत की भलाई है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/309)

सुवाल : शादी के बा'द अपने वालिदैन से अ़लाह़दा हो जाना कैसा है ?

जवाब : इस की चन्द सूरतें हैं, जैसे घर तंग (या'नी छोटा) है और वालिदैन भी येही चाहते हैं कि बेटा अलग हो जाए, इस सूरत में अलग होने में ह़रज नहीं। अगर घर में मसाइल हैं तो वालिदैन की रिज़ामन्दी से अलग हो या'नी वालिदैन ख़ुशी से इजाज़त दे दें तो अलग हो जाए। सिर्फ़ बीवी की ह़िमायत करना और मां को बुरा भला कहना और इस त़रह़ लड़ भिड़ कर अलग हो जाना बहुत बुरा है। बा'ज़ लोग बूढ़े मां बाप को धक्का मार देते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये, अगर बूढ़े मां बाप की त़रफ़ से कुछ आज़्माइश हो तब भी अपनी बीवी की ज़ेह्न साज़ी करनी चाहिये, उसे समझाना चाहिये कि "उन का बुढ़ापा है सब्र करो, बरदाश्त करो और तुम ज़बान मत चलाओ, اِنْ شَآءَاللّٰه आहिस्ता आहिस्ता सारे मसाइल ह़ल हो जाएंगे।" जब बहू ज़बान खोलती है तो मुआ़मला ख़राब हो जाता है, इस त़रह़ समझा कर काम चलाया जाए। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/533)

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात वालिदैन बिला वज्ह समझाना शुरूअ़ कर देते हैं, ह़ालां कि हमारी कोई ग़लती नहीं होती, तो उस वक़्त ग़ुस्सा आ जाता है, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ?

जवाब : आप अपने पास एक काउन्टर (डीजीटल तस्बीह़ जो वज़ाइफ़ को शुमार करने में मदद देती है) रख लें और जब कभी ऐसा हो तो दुरूद शरीफ़ पढ़ना शुरूअ़ कर दें, اِنْ شَآءَاللّٰه येह दुरूद शरीफ़ आप को ठन्डा कर देगा। अगर मां या बाप पर ग़ुस्सा उतारेंगे तो मुआ़मला ख़राब हो जाएगा, लिहाज़ा सब्र करें और क़ुफ़्ले मदीना लगा कर दुरूद शरीफ़ पढ़ें। नीज़ जब मां बाप ख़ामोश हो जाएं तो मौक़अ़ की मुनासबत से इन्तिहाई प्यार और महब्बत के साथ उन को समझाएं। अलबत्ता अगर आप को लगे कि मेरे समझाने से मज़ीद बरसात शुरूअ़ हो जाएगी तो ख़ामोश रहें।

मां बाप को भी चाहिये कि बे मौक़अ़ बिग़ैर सोचे समझे औलाद पर न बरसा करें कि इस त़रह़ औलाद बाग़ी हो जाती है, फिर मां बाप को सख़्त आज़्माइश का सामना करना पड़ता है, लिहाज़ा वालिदैन और औलाद दोनों को ही ज़ुल्म से बचना चाहिये। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/365)

सुवाल : क्या हर काम के लिये वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी है ?

जवाब : इतना छोटा बच्चा जो ना समझ हो, उ़र्फ़ में जिस के बाहर निकलने से वालिदैन तश्वीश करते हैं तो वालिदैन को चाहिये कि वोह उस बच्चे को इजाज़त लेने की आ़दत डालें और उसे समझाएं कि बिग़ैर इजाज़त कहीं भी न जाए। बच्चा ना समझ होता है, वोह ख़ुद ब ख़ुद तो इजाज़त नहीं लेगा लिहाज़ा उस की इजाज़त लेने की आ़दत बनानी होगी। जब मैं छोटा मगर समझदार था तब भी मेरी मां मुझे कहती थीं : बाहर रोड पर नहीं जाना। हमारे घर के पीछे रोड था और रोड पार कर के ग्राउन्ड था तो कहती थीं : ग्राउन्ड में नहीं जाना। मैं ग्राउन्ड में जाने से डरता था कि मां ने मन्अ़ किया है। मां बाप बच्चे के भले के लिये मन्अ़ करते हैं, इस लिये मां बाप से

इजाज़त लेनी चाहिये। अगर बच्चा समझदार हो चुका है और मां बाप को उस के बाहर निकलने से तश्वीश भी नहीं होती और बच्चा मां बाप से पूछे बिग़ैर नमाज़ के लिये मस्जिद या पढ़ने के लिये मद्रसे और जामिआ़ चला जाता है और मां बाप को पता भी है तो ज़ाहिर सी बात है कि मां बाप को बुरा नहीं लगेगा, मगर इजाज़त ले लेना अच्छा है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/361)

सुवाल : क्या औलाद जो भी नेक अ़मल करे उस का सवाब वालिदैन को पहुंचता रहता है या उन्हें ईसाले सवाब करेंगे तब ही सवाब पहुंचेगा ?

जवाब : अगर बेटा चाहता है कि मैं प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सुन्नत अदा करूं, दाढ़ी रखूं, लेकिन मां बाप उस को डांटते और झाड़ते हैं कि "तू मुल्ला बनेगा ? ह़जाम बनेगा ? कबाब बेचेगा ? मत बन मुल्ला ! गहराई में नहीं जाना" ऐसे भी वाक़िआ़त हुए हैं कि नींद में दाढ़ी काट दी, कभी इ़मामा फाड़ दिया तो ऐसी सूरत में जब बेटा दाढ़ी रख रहा है, इ़ल्मे दीन सीखने के लिये नेक लोगों के पास जा रहा है और इज्तिमाआ़त में शिर्कत कर रहा है, और मां बाप रोक रहे हैं तो मरने के बा'द उन्हें बेटे के इन नेक आ'माल का सवाब थोड़ी मिलेगा, मां बाप तो बेटे को नेकियों से रोक कर गुनाहगार हो रहे हैं और "वलीद बिन मुग़ीरा" की नियाबत का ह़क़ अदा कर रहे हैं। क़ुरआने करीम में "वलीद बिन मुग़ीरा" के 10 उ़यूब बयान हुए हैं जिन में येह भी है : [1] ﴿مَنَّاعٍ لِّلْخَیْرِ﴾ (**तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** भलाई से बड़ा रोकने वाला)। तो जो लोग नेकी और भलाई से रोकते हैं ख़्वाह मां बाप हों या कोई और, वोह इस आयत के तह़्त आएंगे। मैं कोई मस्जिद

1 ...پ29، القلم:12

बनाऊं तो मुझे सवाब मिलेगा, मस्जिद के लिये चन्दा दूं तो सवाब मिलेगा, मुफ़्त में मस्जिद के लिये मज़दूरी करूं तो मुझे सवाब मिलेगा, महल्ले में मस्जिद बन रही है और मेरा दिल ख़ुश हो रहा है तो हो सकता है कि इस पर भी मुझे सवाब मिल जाए, लेकिन मैं ख़ार खाऊं कि "येह मस्जिद क्यूं बना रहे हैं ? इतनी जगह घेर ली, येह कर लिया वोह कर लिया" तो फिर मुझे थोड़ी सवाब मिलेगा। वालिदैन को सवाब उस सूरत में मिलता है कि वोह अपनी औलाद को नेक काम पर लगाएं, इस के लिये कोशिश करें और इल्मे दीन पढ़ा कर दुन्या से रुख़्सत हों। (सिरातुल जिनान, पारह : 1, अल बक़रह, तहूतल आयह : 132, 1/212) सवाब पहुंचने की एक सूरत येह भी है कि औलाद जो भी नेकी करती है उस का ईसाले सवाब करे, तब उन्हें सवाब पहुंचेगा । वालिदैन अगर कोई नेक औलाद छोड़ कर जाएं और वोह वालिदैन के लिये दुआ करे तो वालिदैन को सवाब मिलता है । (مسلم، ص684، حدیث:4223 ماخوذاً) किसी के पीछे अगर ऐसी औलाद मौजूद हो तो येह बड़ी सआ़दत की बात है। लेकिन सच्ची बात येह है कि आज कल बच्चों को दुआ़ करना भी नहीं आती। रमज़ान में क़ुरआने करीम ख़त्म करने के बा'द हम जैसों को ढूंढते हैं कि "मैं ने क़ुरआन पढ़ा है, आप बख़्श देना।" मेरे साथ ऐसा कई बार हुवा है। लोगों को येह नहीं पता होता कि क़ुरआन पढ़ कर बख़्शेंगे कैसे ? जैसे बस मौलाना ही है जो क़ब्र का दरवाज़ा खोल कर अन्दर सवाब उतार सकता है। ज़ाहिर है कि इस सब की वज्ह नेक माहोल से दूरी होती है। اَلْحَمْدُلِلّٰه ! दा'वते इस्लामी के दीनी माहोल से वाबस्ता लोगों को पता होता है कि सवाब कैसे पहुंचता है ? जो मां बाप औलाद को नेक कामों से रोकते हैं और مَعَاذَاللّٰه नेकी से चिड़ते हैं, तो

बा'ज़ सूरतों में कुफ़्र का अन्देशा भी होता है। येह बड़ा ख़ौफ़नाक मुआ़मला है। हमें नेकी से चिड़ हो इस से पहले ही **अल्लाह** हमारा ख़ातिमा ईमान पर फ़रमा दे। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/106)

सुवाल : अगर वालिदैन रोज़ा न रखते हों तो बच्चे किस त़रह़ उन्हें समझाएं ?

जवाब : बच्चों को चाहिये कि वोह अपने वालिदैन के लिये दुआ़ करें और "फ़ैज़ाने रमज़ान"[1] किताब से रोज़ा रखने के फ़ज़ाइल और न रखने की वईदात पर मुश्तमिल रिवायात का इस त़रह़ दर्स दें कि वोह भी सुन लें। **अल्लाह** पाक चाहेगा तो उन्हें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ मिल जाएगी।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/44)

सुवाल : हम अपने वालिदैन को किस त़रह़ नेकी की दा'वत दें ?

जवाब : आप अपने वालिदैन की फ़रमां बरदारी कर के उन्हें नेकी की दा'वत दे सकते हैं। अगर वालिदैन की फ़रमां बरदारी करेंगे, उन के सामने नज़रें नीची कर के धीमी आवाज़ से बात करेंगे और जब वोह आएं तो उन के आगे हाथ बांध कर ता'ज़ीमन खड़े हो जाएंगे तो यूं जब आप उन के साथ अच्छा सुलूक कर के उन का ख़ूब अदबो एह़तिराम करेंगे तो येह बेहतरीन नेकी की दा'वत साबित होगी और फिर आप जो बात उन से कहेंगे वोह मान लेंगे। याद रहे ! औलाद पर मां बाप का येह ह़क़ भी है कि वोह उन की

1... "फ़ैज़ाने रमज़ान" येह शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की 460 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल अपनी किताब है, इस किताब में 10 उ़न्वानात हैं : (1) फ़ज़ाइले रमज़ान शरीफ़ (2) अह़कामे रोज़ा (3) फ़ैज़ाने तरावीह़ (4) फ़ैज़ाने लैलतुल क़द्र (5) अल वदाअ़ माहे रमज़ान (6) फ़ैज़ाने ए'तिकाफ़ (7) फ़ैज़ाने ईदुल फ़ित्र (8) नफ़्ल रोज़ों के फ़ज़ाइल (9) रोज़ादारों की 12 ह़िकायात (10) मो'तकिफ़ीन की 40 मदनी बहारें। (शो'बा मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत)

ता'ज़ीम करे, उन का दिल ख़ुश करे और उन की फ़रमां बरदारी करे। अगर आप मां बाप से अड़ा अड़ी करेंगे तो इस त़रह़ न मां बाप को और न ही किसी आ़म आदमी को नेकी की दा'वत दी जा सकती है। हमारे यहां होता येह है कि अ़वाम के सामने तो "जी जनाब", "लब्बैक" और मुस्कुरा कर बिछे बिछे जाते हैं और मां बाप के सामने बबर शेर की त़रह़ चीख़ चीख़ कर बात करते हैं तो ऐसी सूरत में उन पर नेकी की दा'वत किस त़रह़ असर करेगी ?[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/240)

सुवाल : वालिदैन में अगर अ़लाह़दगी हो जाए तो ऐसी सूरत में औलाद क्या करे ?

जवाब : वालिदैन में अगर अ़लाह़दगी हो जाए तो ऐसी सूरत में औलाद को मां और बाप दोनों के साथ इन्साफ़ करना चाहिये। औलाद को येह बात ज़ेह्न में रखनी चाहिये कि त़लाक़ देने के बा'द बाप, बाप होने से ख़ारिज नहीं हो जाता बल्कि बाप ही रहता है लिहाज़ा बाप के हुक़ूक़ की अदाएगी ज़रूरी है। चूंकि आ़म त़ौर पर मां बच्चों पर ह़ावी होती है इस लिये ऐसे मौक़अ़ पर जवान बच्चे मां का साथ दे कर बाप को घर से निकाल देते हैं। इसी त़रह़ बा'ज़ अवक़ात अ़लाह़दगी के बा'द मां बच्चों को अपने बाप से मिलने जुलने से रोकने के लिये इस त़रह़ की धम्कियां देती है कि अगर अपने बाप से मिलने गए तो दूध मुआ़फ़ नहीं करूंगी ! ऐसी सूरत में बच्चों को चाहिये कि अपनी मां का हुक्म न मानें, छुप कर बाप के साथ तअ़ल्लुक़ात

1... आ'ला ह़ज़रत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मां बाप अगर गुनाह करते हों तो उन से ब नरमी व अदब गुज़ारिश करे, अगर मान लें बेहतर वरना सख़्ती नहीं कर सकता बल्कि ग़ैबत (या'नी उन की ग़ैर मौजूदगी) में उन के लिये दुआ़ करे। (फ़तावा रज़विय्या, 21/157)

क़ाइम रखें और अगर बाप को पैसों की ज़रूरत हो तो उस के लिये अपनी जेब और तिजोरी का मुंह खुला रखें कि इस त़रह़ करने से **अल्लाह** पाक उन्हें मालामाल कर देगा। लड़ाई झगड़े में अगर मां ह़क़ पर थी इस के बा वुजूद बाप ने ग़ुस्से में त़लाक़ दे डाली तब भी औलाद को बाप के साथ ह़ुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिये वरना क़ियामत का दिन तो दूर की बात है, मां बाप के ना फ़रमान को दुन्या ही में सज़ा दे दी जाती है।

اَلْحَمْدُلِلّٰه ! मुआ़शरे में ऐसे क़ाबिले तह़्सीन बच्चे भी हैं जो मां बाप में अ़लाह़दगी होने के बा'द फ़साद से बचने के लिये मां से छुप छुप कर बाप की माली मदद करते और इ़लाज मुआ़लजे के अख़्राजात उठाते हैं। मां को भी चाहिये कि अगर त़लाक़ वग़ैरा हो जाए तो दिल बड़ा रखे और औलाद को बाप की ना फ़रमानी के गुनाह पर न उभारे बल्कि हो सके तो औलाद को येह समझाए कि मेरे और तुम्हारे वालिद के दरमियान जो कुछ हुवा उस से सर्फ़े नज़र करो और मेरी भी ख़िदमत करो और अपने बाप का भी ख़याल रखो। अगर औलाद ने मां या बाप में से किसी पर ज़ुल्म किया है तो क़दमों में पड़ कर मुआ़फ़ी मांगे और **अल्लाह** पाक से तौबा भी करे। अक्सरो बेश्तर मुआ़मला त़लाक़ तक नहीं पहुंचता और मां बाप लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं ऐसी सूरत में औलाद को चाहिये कि वालिदैन में सुल्ह़ करवा दे कि क़ुरआने पाक में है : ﴿وَالصُّلْحُ خَیْرٌ﴾ (پ5، النسآء:128) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** "और सुल्ह़ ख़ूब है।" और अगर सुल्ह़ न हो पाए तो दोनों की ख़िदमत करे और ऐसा हरगिज़ न हो कि एक की ख़िदमत करे और दूसरे को छोड़ दे। जिस त़रह़ मां बाप औलाद को बचपन में बिस्तर गन्दा करने और शरारतें कर के घर के बरतन तोड़ने के बा वुजूद छोड़ नहीं देते

क्यूं कि उस वक़्त औलाद को मां बाप की ज़रूरत होती है इसी त़रह़ औलाद को भी चाहिये कि जब वोह बड़ी हो जाए तो मां बाप से वफ़ा करे और इन्हें हरगिज़ न छोड़े क्यूं कि उस वक़्त मां बाप को भी औलाद की ज़रूरत होती है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/188)

सुवाल : अगर वालिद साहि़ब दूसरी शादी कर लें और पहली ज़ौजा की औलाद से मिलना जुलना छोड़ दें तो ऐसी सूरत में औलाद क्या करे ?

जवाब : ऐसी सूरत में पहली ज़ौजा की औलाद सब्र करे और अपने वालिद साहि़ब से मिलने जुलने की कोशिश करे। अगर औलाद अपने वालिद साहि़ब की ख़िदमत करेगी तो वोह भी ज़रूर उन से मेलजोल रखेंगे। जो औलाद येह कहती है कि बाप हम से मिलता जुलता नहीं इस लिये हम भी अपने बाप से मेलजोल नहीं रखेंगे, अगर बाप दुन्या से चला जाए तो येही औलाद विरासत का माल ह़ासिल करने के लिये दौड़ पड़ेगी और ख़्वाब में भी बाप का छोड़ा हुवा माल लेने से इन्कार नहीं करेगी। अगर औलाद अमीर और बाप ग़रीब हो तब भी औलाद को **अल्लाह** पाक की रिज़ा और ह़ुसूले जन्नत के लिये अपने बाप की ख़िदमत करनी चाहिये। जन्नत की कोई क़ीमत नहीं कि उसे पैसों और ख़ज़ानों से ह़ासिल किया जा सके अलबत्ता मां बाप की ख़िदमत के ज़रीए **अल्लाह** पाक को राज़ी कर के ह़ासिल की जा सकती है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/189)

सुवाल : औलाद किन सूरतों में मां बाप के साथ क़त़्ए तअ़ल्लुक़ी कर सकती है ?

जवाब : अगर वालिदैन مَعَاذَاللہ ईमान से फिर कर मुरतद हो जाएं तो बेशक उन से रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। (फ़तावा रज़विय्या, 21/278 मुलख़्ख़सन)

अगर نَعُوْذُ بِاللّٰه वोह औलाद के दीन को नुक़्सान पहुंचाने के दरपै हो जाएं मसलन वोह चाहते हैं कि औलाद को अपने जैसा बना लें तब तो ज़ियादा ख़त़रनाक मुआ़मला है लिहाज़ा ऐसी सूरत में औलाद उन से और भी दूर भागे। बहर ह़ाल अगर वालिदैन मुरतद हों तो उन से रिश्ता तोड़ना होगा। अस्ली काफ़िर वोह होता है जो शुरूअ़ से ही काफ़िर हो और मुरतद वोह जो मुसल्मान होने के बा'द काफ़िर हुवा। अस्ली काफ़िर के मुक़ाबले में मुरतद के अह़काम ज़ियादा सख़्त हैं और काफ़िर के मुक़ाबले में मुरतद को अ़ज़ाब भी ज़ियादा शदीद होगा। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/415)

सुवाल : वालिदैन अगर ग़लती होने या न होने पर बद दुआ़ देते हों तो क्या औलाद के ह़क़ में उन की बद दुआ़ क़बूल होती है ?

जवाब : मां बाप की दुआ़ और बद दुआ़ औलाद के ह़क़ में क़बूल है।[1] लिहाज़ा इन की दुआ़ लेनी चाहिये और बद दुआ़ से बचना चाहिये। जब कोई क़ुसूर होता होगा तो मां बाप ग़ुस्से में आ कर बद दुआ़ देते होंगे वरना बे मौक़अ़ नहीं देते होंगे। मां बाप को चाहिये कि वोह अपनी औलाद को सिर्फ़ दुआ़ओं से नवाज़ें और बद दुआ़ न करें कि बेचारी औलाद कहीं की नहीं रहेगी। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/97)

सुवाल : बा'ज़ शादियों में दूल्हे के मां बाप येह चाहते हैं कि शादी में गाने बाजे, शोरो ग़ुल और मोज मस्तियां हों जब कि दूल्हा इस के ख़िलाफ़ होता है तो क्या इस सूरत में दूल्हा अपने मां बाप की मुख़ालफ़त कर सकता है ? क्या येह मां बाप की ना फ़रमानी कहलाएगी ?

1... औलाद के ह़क़ में बाप की दुआ़ क़बूल है और बद दुआ़ भी, वालिद से मुराद मां बाप दोनों हैं दादा भी इस में दाख़िल है कि बिल वासित़ा वोह भी वालिद है, मां की दुआ़ बहुत ज़ियादा क़बूल होती है। (मिरआतुल मनाजीह़, 3/301)

जवाब : **अल्लाह** पाक हमारे ह़ाल पर रह़्म फ़रमाए कि हम गुनाहों से बच कर शादियां और दीगर तक़रीबात करने में काम्याब हो जाएं। येह हमेशा याद रखिये कि जहां **अल्लाह** पाक का हुक्म आ जाए वहां किसी दूसरे का हुक्म नहीं माना जाता, इस लिये **अल्लाह** पाक ने जिन कामों से मन्अ़ किया है अगर मां बाप उन्हें करने का कहें तो वोह काम नहीं किये जाएंगे और इस सूरत में मां बाप की ना फ़रमानी का गुनाह भी नहीं मिलेगा बल्कि ज़रूरी है कि इस मुआ़मले में मां बाप की बात न मानी जाए और **अल्लाह** पाक और रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बात मानी जाए। (تفسیر خازن، پ21، لقمٰن، تحت الآیۃ:15، 3/470-471) गाने बाजे गुनाहों के काम हैं जब कि **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने गुनाहों से मन्अ़ किया है इस लिये शादियों में येह नहीं होने चाहिएं लिहाज़ा अगर दूल्हा नहीं करने देता और मां बाप को मन्अ़ करता है तो वोह सह़ीह़ करता है। मां बाप को भी चाहिये कि ख़ुशी के मौक़अ़ पर वोह बच्चों का वैसे ही मान रखते हैं तो ऐसे मान को भी रखना चाहिये और हमेशा के लिये इन गुनाहों से बल्कि सब गुनाहों से तौबा करनी चाहिये। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/498)

सुवाल : जो औलाद अपने वालिदैन को ज़िन्दगी में राज़ी न कर सके वोह उन की वफ़ात के बा'द कौन सा ऐसा अ़मल करे जिस से उन के वालिदैन उन से राज़ी हो जाएं ?

जवाब : जिन के वालिदैन नाराज़ी की ह़ालत में इन्तिक़ाल कर गए हों उन्हें चाहिये कि वोह अपने वालिदैन के लिये ब कसरत दुआ़ए मग़्फ़िरत करें क्यूं कि फ़ौत शुदगान के लिये सब से बड़ा तोह़फ़ा दुआ़ए मग़्फ़िरत है। चुनान्चे **अल्लाह** पाक के ह़बीब, ह़बीबे लबीब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : किसी के मां बाप दोनों या एक का इन्तिक़ाल हो गया और येह उन की ना फ़रमानी

करता था, अब उन के लिये हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, यहां तक कि **अल्लाह** पाक उस को नेकोकार लिख देता है। (شعب الایمان، 6/202 حدیث:7902) नीज़ औलाद को चाहिये कि अपने वालिदैन के लिये दुआए मग़्फ़िरत के साथ साथ फ़ातिहा ख़्वानी या दुरूद शरीफ़ वग़ैरा पढ़ कर कसरत से ईसाले सवाब का सिल्सिला जारी रखे कि जब औलाद की त़रफ़ से उन्हें ख़ूब ईसाले सवाब पहुंचेगा तो **अल्लाह** पाक की रह़मत से उम्मीद है कि वोह अपनी औलाद से राज़ी हो जाएंगे। अपने वालिदैन और दीगर अ़ज़ीज़ो अक़ारिब के ईसाले सवाब की निय्यत से मक्तबतुल मदीना के मदनी रसाइल भी तक़्सीम किये जा सकते हैं। नीज़ अगर कोई अपने वालिदैन या दीगर अ़ज़ीज़ो अक़ारिब के ईसाले सवाब के लिये मदनी रसाइल तक़्सीम करना चाहे और उन पर अपने वालिदैन वग़ैरा का नाम या अपना पता वग़ैरा लिखवाना चाहे तो वोह मक्तबतुल मदीना से राबित़ा कर ले।[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/184)

सुवाल : क्या वालिदैन को उन की क़ब्र में अपनी औलाद की ज़िन्दगी के बारे में पता चल सकता है ?

जवाब : फ़ौत शुदा वालिदैन पर हर जुमुआ को उन की औलाद के अच्छे बुरे आ'माल पेश होते हैं, जब औलाद की नेकियां देखते हैं तो उन का चेहरा ख़ुशी से खिल उठता है, उस पर ख़ुशी के आसार होते हैं और जब बुराइयां और गुनाह देखते हैं तो उन के चेहरे पर कदूरत के आसार होते हैं। (نوادر الاصول، الجزء:1، ص۶۷۱، حدیث:۹۲۵) या'नी उन का चेहरा मुरझा जाता है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/389)

1... वालिदैन या दीगर अ़ज़ीज़ो अक़ारिब के ईसाले सवाब के लिये मदनी रसाइल तक़्सीम करने के लिये इस एड्रेस पर राबित़ा कीजिये :

t.r.indiaoffice@gmail.com MO. 9557554383

सुवाल : अगर किसी के वालिदैन ग़ैर मुस्लिम हों तो वोह नमाज़ में पढ़ी जाने वाली दुआ ﴿رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ﴾ जिस में वालिदैन की मग़्फ़िरत की भी दुआ है, उस में क्या निय्यत करे ?

जवाब : कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब सफ़हा नम्बर 77 ता 78 पर है : "सुवाल : अगर किसी के वालिदैन या दोनों में से एक काफ़िर या मुरतद हो तो वोह फ़ैज़ाने सुन्नत का दर्स देने के बा'द येह दुआ : "**या अल्लाह !** हमारी, हमारे मां बाप की और सारी उम्मत की मग़्फ़िरत फ़रमा" कर सकता है या नहीं ।" नीज़ नमाज़ में इस क़ुरआनी दुआ ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیَّ.... اِلخ﴾ का येह हिस्सा ﴿رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ....﴾ (या'नी ऐ हमारे परवर्दगार ! मेरी और मेरे मां बाप की मग़्फ़िरत फ़रमा । اِلخ) पढ़े या नहीं ? जवाब : अगर वालिदैन काफ़िर हों तो उन के लिये दुआए मग़्फ़िरत करना कुफ़्र है । (تفسیر کبیر، پ 11، التوبۃ، تحت الآیۃ: 114، 6/159) इस लिये दर्से फ़ैज़ाने सुन्नत में दुआ के येह अल्फ़ाज़ "हमारे मां बाप की" न बोले बल्कि इस त़रह़ दुआ करे : **या अल्लाह !** हमारी और सारी उम्मत की मग़्फ़िरत फ़रमा । नमाज़ में भी ऐसी दुआ नहीं पढ़ सकता (जिस में वालिदैन की मग़्फ़िरत की दुआ हो) । अगर सुवाल में मज़्कूर दुआ का तरजमा जानता है कि वालिदैन की बख़्शिश की दुआ इस में है और जानता है कि उस के वालिदैन काफ़िर या मुरतद हैं फिर भी जान बूझ कर अपने वालिदैन की मग़्फ़िरत की निय्यत से इस ने येह दुआ की तो उस दुआ करने वाले पर हुक्मे कुफ़्र है और तौबा व तज्दीदे ईमान (या'नी नए सिरे से ईमान लाना) उस पर फ़र्ज़ है । (फ़तावा रज़विय्या, 21/228) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/203)

सुवाल : औलाद कमा रही होती है और वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच चुके होते हैं तो ऐसे में औलाद येह सोचती है कि अभी वालिदैन को ह़ज करवा देते हैं हम बा'द में कर लेंगे, क्या ऐसा करना दुरुस्त है ?

जवाब : अगर ह़ज की शराइत़ पाए जाने की वज्ह से औलाद पर ह़ज फ़र्ज़ हो गया है तो अब उन्हें ख़ुद ह़ज करना होगा यहां तक कि अगर मां बाप इजाज़त न भी दें तब भी फ़र्ज़ ह़ज अदा करने के लिये जाना होगा ।[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/37)

सुवाल : ह़ज के फ़ॉर्म फ़िल हो रहे हैं और ह़ज की तय्यारियां हो रही हैं । अगर किसी के वालिदैन दुन्या से चले गए तो क्या उन के लिये ह़ज्जे बदल करवा सकते हैं ? अगर कोई अपने मर्ह़ूमीन के ईसाले सवाब के लिये किसी को ह़ज पर भेजना चाहे तो क्या मर्ह़ूम को उस का सवाब मिलेगा ?

जवाब : ह़ज्जे बदल के बहुत मसाइल हैं । जब भी ह़ज्जे बदल करवाना हो तो दा'वते इस्लामी के मक्तबतुल मदीना की किताब रफ़ीकुल ह़रमैन (सफ़ह़ा 208-214) और बहारे शरीअ़त (जिल्द 1 सफ़ह़ा 1199-1210) में मौजूद मसाइल देख लेने चाहिएं । ह़ज्जे बदल करवाने वाला भी मसाइल देखे और ह़ज्जे बदल करने वाला भी मसाइल का मुत़ालआ़ करे । ख़ाली किसी ने बोल दिया कि ह़ज्जे बदल कर लो और हम भी ख़ुश हो गए कि भाई ख़र्चा मिल गया और आक़ा ने बुला लिया । ऐसा न हो । ह़ज्जे बदल करवा सकते हैं, लेकिन उस से करवाना चाहिये जो ह़ज्जे बदल के मसाइल जानता हो । आ़म लोग ह़ज्जे बदल के मसाइल नहीं जानते । वालिदैन की त़रफ़ से ह़ज्जे बदल करवाना बड़ा सवाब का काम है । जो अपने वालिदैन के नाम पर ह़ज करेगा उस को 10 ह़ज का सवाब मिलेगा । (دار قطنی، 2/329، حدیث:2587) बहर ह़ाल अपने वालिदैन और अपने अ़ज़ीज़ों की

1... बहारे शरीअ़त, 1/1051, ह़िस्सा : 6 माख़ूज़न । सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत़्त़रीक़ह मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जब ह़ज के लिये जाने पर क़ादिर हो ह़ज फ़ौरन फ़र्ज़ हो गया या'नी उसी साल में और अब ताख़ीर गुनाह है और चन्द साल तक न किया तो फ़ासिक़ है और उस की गवाही मरदूद मगर जब करेगा अदा ही है क़ज़ा नहीं ।

(बहारे शरीअ़त, 1/1051, ह़िस्सा : 6)

त़रफ़ से, नीज़ ग़ौसे पाक और ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِمَا के ईसाले सवाब के लिये ह़ज्जे बदल करवाना चाहिये। اَلْحَمْدُلِلّٰه ! दा'वते इस्लामी में भी येह तरकीब है कि हम लोग ह़ज्जे बदल पर भेजते हैं, जैसे हम दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत के उ़लमा को ह़ज करवाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत का हर आ़लिम ह़ज करे, ताकि मसाइल का प्रेक्टीकल हो जाए और उम्मत की राहनुमाई करना आसान हो।

(इस मौक़अ़ पर मुबल्लिगे़ दा'वते इस्लामी ने अ़र्ज़ की :) दा'वते इस्लामी की मजलिसे ह़ज्जो उ़म्रह की जानिब से अपने अ़ज़ीज़ों के ईसाले सवाब की ख़ातिर इस्लामी भाइयों को ह़ज्जे बदल पर भेजने वालों के लिये कोई दुआ़ फ़रमा दीजिये।

(इस मौक़अ़ पर अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने येह दुआ़ फ़रमाई :) या रब्बे मुस्त़फ़ा جَلَّ جَلَالُہٗ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! जो कोई दा'वते इस्लामी की मजलिसे ह़ज्जो उ़म्रह के ज़रीए़ अपने अ़ज़ीज़ों के ईसाले सवाब के लिये या वैसे ही नफ़्ल ह़ज के लिये किसी को भेजने की रक़म वग़ैरा फ़राहम करे, मौलाए करीम ! उस का ईमान सलामत रख, बुरे ख़ातिमे से बचा, **या अल्लाह !** उसे आफ़ातो बलिय्यात से महफ़ूज़ रख, दोनों जहान की भलाइयां उस का मुक़द्दर कर और उस की बे ह़िसाब मग़्फ़िरत फ़रमा।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/263)

सुवाल : अगर वालिदैन का इन्तिक़ाल हो चुका हो तो क्या उन के नाम की क़ुरबानी की जा सकती है ?

जवाब : बेशक की जा सकती है। अगर आप के पास ह़िस्से वाला बड़ा जानवर है तो उस में भी अपने मर्ह़ूम वालिदैन के नाम डाल सकते हैं और येह क़ुरबानी उन की त़रफ़ से ईसाले सवाब वाली क़ुरबानी हो जाएगी।

(फ़तावा रज़विय्या, 20/597) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/246)

अगले हफ़्ते का रिसाला